

पत्रांक - ५१/२०

प्रैषकः—

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।

मुजो दिनांक - १०-१-२०२०

विषय—इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में कुछ अनाधिकृत एवं भूमाफियों द्वारा किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में।

प्रसंग: अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2992 दिनांक-18.12.19

प्रसंग: इस कार्यालय के पत्रांक -2896/19 दिनांक - 23.12.19 एवं 5/20
दिनांक-04.01.20

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज़ापांक - 2992 दिनांक - 18.12.19 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित किया गया था कि दिनांक - 20.12.19 को इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त/सम्पूर्ण अकिमण को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए एक जेझीबी०, एक ट्रैकटर एवं दस मजदूर की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उक्त व्यवस्था को कर ली गई थी। परन्तु वर्तमान तक उक्त अतिकमण को हटाने/खाली कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

विदित हो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या -2896/19 दिनांक - 23.12.19
द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को इस संदर्भ में सूचित करते हुए¹
अनुरोध किया गया था कि उक्त स्थायी/सम्पूर्ण अतिकमण को मुक्त कराने हेतु
यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त स्थायी / सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटाने हेतु अपने स्तर से यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए ।

यह आपके सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन
प्राचार्य
१५.११.२०२०

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफरपुर

P-inizial

K Medical College
MUZAFFARABAD

पत्रांक –

प्रेषकः—

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0 दिनांक –

विषय—इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में कुछ अनाधिकृत एवं भूमाफियों द्वारा किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ।

प्रसंग: अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—2992 दिनांक—18.12.19

प्रसंग: इस कार्यालय के पत्रांक—2896/19 दिनांक—23.12.19 एवं 5/20 दिनांक—04.01.20
महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक—2992 दिनांक—18.12.19 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित किया गया था कि दिनांक—20.12.19 को इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त/सम्पूर्ण अक्रियण को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी । जिसके लिए एक जेऽसी०बी०, एक ट्रैक्टर एवं दस मजदूर की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उक्त व्यवस्था को कर ली गई थी । परन्तु वर्तमान तक उक्त अतिक्रमण को हटाने/खाली कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

विदित हो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या—2896/19 दिनांक—23.12.19 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को इस संदर्भ में सूचित करते हुए अनुरोध किया गया था कि उक्त स्थायी/सम्पूर्ण अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त स्थायी/सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटाने हेतु अपने स्तर से यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:—51/20

दिनांक:—10-1-2020

प्रतिलिपि:—

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- वरीय आरक्षी अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक—2992 दिनांक—18.12.19 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- थाना प्रभारी, अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- अंचलाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- Estate Officer, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- सुपरवाईजर, सुरक्षा गार्ड (वाह्य स्रोत), श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- कॉलेज वेबसाईट ।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
Muzaffarpur
MUZAFFARPUR

10-1-2020